



249

समक्ष न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू बोर्ड, जबलपुर ग्वालीयार

राजस्व पुनरीक्षण - /2013 R-1180-J113

आवेदक : मनोहर उपाध्याय आत्मज स्व.श्री कुंजीलाल उपाध्याय, निवासी- वाई.नं.2, ब्यौहार चौक बरेला, तहसील व जिला- जबलपुर ४७०००४
विरुद्ध - म०७० शासन द्वारा छेलेक्टर मन्हे. जबलपुर
राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

515
R-12-3-13

श्री मनोज मिश्रा
अधिकृत द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार सी 52
0 / MAR 2013
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

रिवीजनकर्ता नायब तहसीलदार खम्हिरया सीकिल जबलपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 463/अ-12/11-12 पक्षकार मनोहर उपाध्याय में सीमांकन प्रकरण में - निष्पादित सीमांकन आदेश दिनांक 23.01.2013 से क्षुब्ध एवं परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारों पर यह राजस्व रिवीजन प्रस्तुत करता है:-

219
22/3/13

:: तथ्य ::

§ 1§ यह कि मौजा बरेला नं.बं. 105, प.ह.नं. 52 राजस्व निरी. मण्डल खम्हिरया, तहसील व जिला- जबलपुर में स्थित ख.नं. 395 रकवा 0.08। हे.आवेदक एवं उसके भाईयों के नाम से शीमलशरीक दर्ज है।

§ 2§ यह कि उक्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की है। आवेदक एवं उसके भाई भाई नन्दीकशोर एवं मनोज का नाम शीमल शरीक रूप से दर्ज है। वर्ष 1970 में उक्त भूमि विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई थी। क्रय दिनांक से ही आवेदक एवं उसके भाईयों का कब्जा चला आ रहा है।

§ 3§ यह कि उक्त भूमि के संबंध में एक व्यवहार वाद क्रमांक - 72अ-12011 नन्दीकशोर विरुद्ध पूर्णेश माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, के न्यायालय से दिनांक 31.10.2011 को निर्णित



6 MAR 2013

R/R

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.11.80-I/13 जिला अजमेर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकरण क्रमांक एवं आदेश क्रमांक
<p>28.12.16.</p>	<p>आवेदन को रद्द कर दिया गया है। आवेदनकर्ता को सूचित किया जा रहा है। उक्त कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की गई हैं। आवेदनकर्ता को सूचित किया जा रहा है।</p>	

R. 18